तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 60/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
03.7.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही उपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (पुनीत पुत्र चम्पतलाल जी मेवाड़ा, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म विनायक सुपर मार्केट, धनजी स्ट्रीट, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही) एवं प्रतिवादी संख्या–2 (अनिल कुमार अग्रवाल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईट, फर्म अग्रवाल स्टोर, पुराने पोस्ट ऑफिस के पास, सिरोही रोड़, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही) उपस्थित। प्रतिवादी संख्या–3 (अनिल मालू, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म कुशाल एजेन्सी, 73 ज्वाला विहार, जीवन ज्योति हॉस्पिटल, जोधपुर) एवं प्रतिवादी संख्या–4 (मनोहर सिंह गहलोत, नॉमिनी, मैसर्स जालानी एन्टरपाईजेज प्राईवेट लिमिटेड़, C-34, M.I.A. 1st Phase, Basani, Jodhpur) अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 07.9.2023 को फर्म विनायक सुपर मार्केट, धनजी स्ट्रीट, पिण्ड़वाडा में प्रतिवादी विक्रेता पुनीत पुत्र चम्पतलाल जी मेवाडा से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ जलजीरा (जालानी) का नमूना संख्या S-2197 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./2492/Act/2023/ 2547 दिनांक 22.9.2023 में Contravention of Regulation No.2.9.20(2)(5) of Food Safety and Standards (Food Products Standard and food Additives) regulations, 2011 पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 58 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 03.7.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पुनीत पुत्र चम्पतलाल जी मेवाडा व अनिल कुमार अग्रवाल ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर अलग अलग लिखित जवाब प्रस्तुत जुर्म स्वीकार किया। जबकि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को तीन–तीन बार आवाजें लगवाई गई, लेकिन प्रतिवादी संख्या 3 व 4 उपस्थित नही होने से प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पुनीत पुत्र चम्पतलाल जी मेवाडा व अनिल कुमार अग्रवाल द्वारा जुर्म स्वीकार कर लिया जाने से आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को आज ही सुना गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा ......लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 10:56:06 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 60/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अनुरोध किया कि उन्होनें जलजीरा (जालानी) के पैक्ड डिब्बे जरिये बिल खरीद कर पैकिंग अवस्था में ही विक्रय किया है, उसमें हमारी कोई गलती नही है, अतः हमें इस प्रकरण से दोषमुक्त किया जावे।

हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 07.9.2023 को प्रतिवादी पुनीत पुत्र चम्पतलाल जी मेवाडा की प्रोपराईटरी फर्म विनायक सुपर मार्केट, धनजी स्ट्रीट, पिण्ड़वाडा में खाद्य पदार्थो के निरीक्षण के दौरान प्रतिवादी फर्म विनायक सुपर मार्केट, धनजी स्ट्रीट, पिण्ड़वाडा के अन्दर आमजन को बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ जलजीरा (जालानी) के 12 पैक्ड डिब्बो (प्रत्येक 300 ग्राम) में से खाद्य पदार्थ जलजीरा (जालानी) के 4 पैक्ड डिब्बे (प्रत्येक 300 ग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय किये गये एवं विधिवत कार्यवाही करते हुए नियमानुसार लेबल आदि तैयार कर लेबलों पर प्रतिवादी विक्रेता पुनीत पुत्र चम्पतलाल जी मेवाडा व गवाह श्री श्रवणसिंह, वाहन चालक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के हस्ताक्षर करवाते हुए आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव स्वयं द्वारा हस्ताक्षर किये गये एवं इन लेबलों को खरीदशुदा जलजीरा (जालानी) के चारों पैक्ड डिब्बों पर नियमानुसार चिपकाया तथा चारों नमूना डिब्बों को अलग अलग कागज में लपेटकर नियमानुसार सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने चारों नमूनों डिब्बों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता पुनीत पुत्र चम्पतलाल जी मेवाडा व गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को [illegible] । श्री दिलीप सिंह ... लगातार

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 10:56:06 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 60/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 11.9.2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री बाबुलाल, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 07.9.2023 को शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म विनायक सुपर मार्केट, धनजी स्ट्रीट, पिण्ड़वाडा में प्रतिवादी विक्रेता पुनीत पुत्र चम्पतला जी मेवाडा से खाद्य पदार्थ जलजीरा (जालानी) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय किये गये खाद्य पदार्थ जलजीरा (जालानी) का नमूना संख्या S-2197 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./2492/Act/2023/2547 दिनांक 22.9.2023 में Contravention of Regulation No.2.9.20(2)(5) of Food Safety and Standards (Food Products Standard and food Additives) regulations, 2011 पाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी पुनीत पुत्र चम्पतलाल जी मेवाडा की प्रोपराईटरी फर्म विनायक सुपर मार्केट, धनजी स्ट्रीट, पिण्ड़वाडा द्वारा खाद्य पदार्थ जलजीरा (जालानी) के पैक्ड डिब्बों (प्रत्येक 300 ग्राम) को फर्म अग्रवाल स्टोर, पुराने पोस्ट ऑफिस के पास, सिरोही रोड़, पिण्ड़वाडा से जरिये बिल क्रय किये गये थे जो प्रतिवादी संख्या–2 (अनिल कुमार अग्रवाल) की प्रोपराईटरी फर्म है। प्रतिवादी संख्या–2 (अनिल कुमार अग्रवाल) की प्रोपराईटरी फर्म अग्रवाल स्टोर द्वारा खाद्य पदार्थ जलजीरा (जालानी) के पैक्ड डिब्बों को फर्म कुशाल एजेन्सीज, 73 ज्वाला विहार, जीवन ज्योति हॉस्पिटल के पीछे, जोधपुर से जरिये बिल क्रय किये गये थे, जो प्रतिवादी संख्या–3 (अनिल मालू) की प्रोपराईटरी फर्म है तथा प्रतिवादी संख्या–3 (अनिल मालू) की प्रोपराईटरी फर्म कुशाल एजेन्सी द्वारा खाद्य पदार्थ जलजीरा (जालानी) के पैक्ड डिब्बों को फर्म जालानी एन्टरप्राईजेज प्राईवेट लिमिटेड, सी–34, एम.आई.ए., बासनी, जोधपुर से जरिये बिल क्रय किये गये थे, जो खाद्य पदार्थ जलजीरा (जालानी) की निर्माता/पैकर फर्म है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है .....लगातार	

न्याया. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 10:56:06 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 60/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 क्रमशः पुनीत पुत्र चम्पतलाल जी मेवाडा, अनिल कुमार अग्रवाल व अनिल मालू द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ जलजीरा (जालानी) के 300–300 ग्राम के पैक्ड डिब्बों का विक्रय किया गया है एवं खाद्य पदार्थ जलजीरा (जालानी) की निर्माता/पैकर फर्म जालानी एन्टरप्राईजेज प्राईवेट लिमिटेड, सी–34, एम.आई.ए., बासनी, जोधपुर है। ऐसी स्थिति में, Contravention of Regulation No.2.9.20(2)(5) of Food Safety and Standards (Food Products Standard and food Additives) regulations, 2011 खाद्य पदार्थ जलजीरा (जालानी) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 के अनुसार खाद्य पदार्थ जलजीरा (जालानी) की निर्माता/पैकर फर्म जालानी एन्टरप्राईजेज प्राईवेट लिमिटेड, सी–34, एम.आई.ए., बासनी, जोधपुर ही दोषी है एवं निर्माता फर्म जालानी एन्टरप्राईजेज प्राईवेट लिमिटेड, सी–34, एम.आई.ए., बासनी, जोधपुर द्वारा Contravention of Regulation No.2.9.20(2)(5) of Food Safety and Standards (Food Products Standard and food Additives) regulations, 2011 खाद्य पदार्थ जलजीरा (जालानी) का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उललंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। **<u>आदेश</u>** अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 80 के तहत प्रतिवादी संख्या 1 से 3 क्रमशः पुनीत पुत्र चम्पतलाल जी मेवाडा, अनिल कुमार अग्रवाल व अनिल मालू को दोषमुक्त किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए Contravention of Regulation No.2.9.20(2)(5) of Food Safety and Standards (Food Products Standard and food Additives) regulations, 2011 खाद्य पदार्थ जलजीरा (जालानी) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु उक्त अधिनियम की धारा 58 के तहत प्रतिवादी निर्माता फर्म जालानी एन्टरपाईजेज प्राईवेट लिमिटेड़, C-34, M.I.A. 1st Phase, Basani, Jodhpur पर राशि रुपये 20,000/– (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी निर्माता फर्म जालानी एन्टरपाईजेज प्राईवेट लिमिटेड़, C-34, M.I.A. 1st Phase, Basani, Jodhpur के नॉमिनी मनोहर सिंह गहलोत को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादीगण को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 07.8.2024 को पेश हो। (डॉ. दिनेश राय सापेला) अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट ★ सिरोही (राज०) ★

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.07.03 10:56:06 IST
Reason: SelfAttested